FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Pithoragarh

No:- 120 Dated:-03/06/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 10.350 hectares of forest land proposed to be diverted in avour of **Executive Engineer, PMGSY Division PWD Dharchula** for **Aadichaura to Sinni Motor Road** in **Pithoragarh** district.

It is further certified that:

(a) **Aadichaura to Sinni** Motor Road the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ---------- to annexure -------.

(b) **Aadichaura to Sinni** Motor Road the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) **Aadichaura to Sinni** Motor Road the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
पिथौरागढ़

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT PITHORAGARH (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Pithoragarh district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/~~Mrs/Miss~~. ...Sushil Kumar........, I.A.S deputy commissioner, **Pithoragarh** on dated 03/06/15. at time 11:10 am at **Pithoragarh** in which application claiming rights in area measuring **10.350** hect for the construction of **Aadichaura to Sinni Motor Road** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **Dharchula** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;. Pithoragarh

Dated:...03/06/2015

District Magistrate
District Level Committee

परियोजना का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित आदीचौरा से सिणी (13.00 किमी.) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, मुनस्यारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ~~धारचूला~~ मुनस्यारी

उपखण्ड मुनस्यारी परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित आदीचौरा से सिणी (13.00 किमी.) के नव निर्माण हेतु 8.100 है० आरक्षित वन भूमि, 2.250 है० सिविल एवं सोयम वन भूमि Nill है० वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 10.350 है० वन भूमि को पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड लो० नि० वि० धारचूला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील धारचूला) की दिनांक 27/05/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कौस्तुभ मिश्रा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री कौस्तुभ मिश्र उपजिलाधिकारी मुनस्यारी अध्यक्ष
2 श्री मनोहर सिंह सेम्मा उप प्रभागीय वनाधिकारी अस्कोट सदस्य
3 श्री मोहन चन्द्र उपाध्याय सहायक समाज कल्याण अधिकारी मुनस्यारी सदस्य/सचिव
4 श्री दीपक सिंह बी०डी०सी० क्षेत्र चापड़

क्षेत्र पंचायत सदस्य
दीपक सिंह
क्षेत्र पंचायत–नापड़
वि०ख०–मुनस्यारी(पिथौरागढ़)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आदीचौरा से सिणी (13.00 किमी.) के नव निर्माण हेतु ... है० वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सहमति से प्रतिवेदन के आधार पर ... की अनुमति की जा रही है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धारचूला परिक्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित आदीचौरा से सिणी (13.00 किमी.) के नव निर्माण हेतु 10.350 है० वन भूमि पी० एम० जी० एस० वाई० खण्ड लो० नि० वि० धारचूला, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
वि०ख० मुनस्यारी

सहायक वन संरक्षक/
पी० ए० मैनेजर वन्य जीव
अस्कोट वैट... पिथौरागढ़

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय मुनस्यारी(पिथौरागढ़)
तहसील ~~धारचूला~~ मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ़

प्रतिलिपि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
जनपद पिथौरागढ़

SDO

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र.... रिंगौफुम.....
तह०.... मुनस्यारी....
दिनांक..................

तहसीलदार
मुनस्यारी(पिथौरागढ़)

उप जिलाधिकारी
मुनस्यारी(पिथौरागढ़)
उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील ~~धारचूला~~ मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ़

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग (13.000 किमी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सीन्नी तहसील–मुनस्यारी जिला – पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (8.100 हे0 आरक्षित वन भूतमि, 2.25 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वनपंचायत भूमि) अर्थात कुल 10.350 हे0 वनभूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड, लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ़) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सीन्नी द्वारा दिनांक 27-03-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सीन्नी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.35 हे० प्रयोक्ता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम सचिव 27/3/2015

ह0/ग्राम
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत सीन्नी
विकास खण्ड मुनस्यारी
जनपद पिथौरागढ़

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित आदिचौरा से सिन्नी मोटर माग (13.000 किमी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – न्यामा तहसील–मुनस्यारी जिला – पिथौरागढ़

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत आदिचौरा से सिन्नी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (8.100 हे0 आरक्षित वन भूतमि, 2.25 हे0 सिविल सोयम भूमि, शून्य हे0 वनपंचायत भूमि) अर्थात कुल 10.350 हे0 वनभूमि का पी0एम0जी0एस0वाई0, खण्ड, लो0नि0वि0 धारचूला (पिथौरागढ़) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत न्यामा द्वारा दिनांक 21-3-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम न्यामा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 10.35 है प्रयोक्ता एजेन्सी की परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/
ग्राम सचिव 21/3/15

ह0/
ग्राम प्रधान

प्रधान
ग्राम पंचायत -
पिथौरागढ़